न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2633–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला–राजगढ़ प्रकरण कमांक 14/अ–6/2014–2015

.....

1. बाबूलाल आत्मज स्व0 श्री चन्दरसिंह
2. भगवानसिंह आत्मज श्री चन्दरसिंह
3. भागीरथ आत्मज स्व0 श्री चन्दरसिंह
   निवासी–ग्राम टिकरिया तहसील पचौर
   जिला राजगढ़

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मोरसिंह आत्मज स्व0 श्री चन्दरसिंह
निवासी–ग्राम टिकरिया तहसील पचौर
जिला राजगढ़

..... अनावेदक

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10 सितम्बर 2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ याचिकाकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम बुरदा तहसील पचौर जिला राजगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 104 कुल किता 4 रकबा 3.213 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण एवं अनावेदक के पिता श्री चन्दरसिंह के नाम

पर दर्ज थी। अनावेदक ने श्री चन्दरसिंह के जीवनकाल में ही अपने हिस्से की भूमि प्राप्त कर ली थी तथा अपने हिस्से कि भूमि प्राप्त करने के उपरांत अनावेदक उसे विकय कर गांव छोडकर अन्यत्र चला गया था। चन्दरसिंह के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदकगणों ने तहसील न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि पर नामान्तरण बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने आवेदकगण प्रस्तुत प्रकरण में कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 01/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25–11–14 के आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयबाधित अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 के आवेदन पत्र पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 22–6–15 के द्वारा अपील समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–6–2015 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25–11–14 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 14–1–15 को अपील पेश की, जो लगभग 20 दिन के विलम्ब से थी। अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सदभाविक मानते हुये अपील को समय–सीमा में मान्य करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः इस स्तर पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ग्राह्यता का कोई आधार न होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर